R.U.P.—G.Ad.—413—20,000—6-78.

Please address all communications to "The Registrar, University of Rajasthan, Jaipur" giving the No. and date of previous correspondence on the subject, if any.
समस्त पत्र 'कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर' को सम्बोधित कीजिये, इस विषय के पूर्व पत्राचार की, यदि हो, तो संख्या व तिथि दीजिये।

Telegram : UNIVERSITY
Telephone : VICE-CHANCELLOR 73168, 72183; REGISTRAR; ENQUIRY 63211 (Ex-202)

From :
प्रेषक :

THE REGISTRAR,
UNIVERSITY OF RAJASTHAN
कुलसचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय।

To :
प्रेषित : प्राचार्य,
श्री दिगम्बर जैन संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर।

No.
पत्रांक एफ 1573 (शैक्ष-2) 8416A

Dated, Jaipur
दिनांक, जयपुर 25-8-1978

विषय :- जैन दर्शन एवं सं. साहित्य (आचार्य स्तर) में स्थायी सम्बद्धता हेतु।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र के सन्दर्भ में उल्लेख है कि कुलपति महोदय ने निरीक्षण मण्डल की संस्तुति पर श्री दिगम्बर जैन संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर को सत्र 1978-79 से जैन दर्शन एवं सं. साहित्य (आचार्य स्तर) में स्थाई सम्बद्धता सहर्ष प्रदान कर दी है।

भवदीय,
[signature]
कुलसचिव

R.U.P.—G.Ad.—413—20,000—6-78.

Please address all communications to 'The Registrar, University of Rajasthan, Jaipur' giving the No. and date of previous correspondence on the subject, if any.

समस्त पत्र 'कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर' को सम्बोधित कीजिये. इस विषय के पूर्व पत्राचार की, यदि हो, तो संख्या व तिथि दीजिये ।

Telegram : UNIVERSITY

Telephone { VICE-CHANCELLOR 73168 / REGISTRAR 72183 / ENQUIRY 63211/Ex-202

From :
प्रेषक :

THE REGISTRAR,
UNIVERSITY OF RAJASTHAN
कुलसचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय ।

To :
प्रेषित : प्राचार्य,
श्री दिगम्बर जैन संस्कृत महाविद्यालय
जयपुर ।

No. एफ। -73/ (शैक्ष2) पगागि
पत्राङ्क

Dated, Jaipur 28.9.1978
दिनाङ्क, जयपुर

विषय:-शास्त्री स्तर की स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु ।

प्रिय महोदय,

आपके आवेदन पत्र के सन्दर्भ में उल्लेख है कि कुलपति महोदय ने निरीक्षण मण्डल की संस्तुति पर श्री दिगम्बर जैन संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर को सत्र 1978-79 से शास्त्री-स्तर में स्थाई सम्बद्धता सहर्ष प्रदान कर दी है ।

भवदीय

[signature]

कुलसचिव

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

(राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर)

क्रमांक : रासंविवि/2001/ दिनांक 18.5.2001

" परिपत्र "

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 (1998 का अधिनियम संख्या 10) की धारा 31 के अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व राज्य में स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त या, यथास्थिति, अनुमोदित कोई भी संस्कृत महाविद्यालय या संस्था, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पश्चात इस अधिनियम के अधीन इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त या, यथास्थिति, अनुमोदित समझी जायेगी।

यह परिपत्र सभी सम्बन्धित संस्थाओं के सूचनार्थ जारी किया जा रहा है।

कुल सचिव,
राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर।

क्रमांक: रासंविवि/2001/ 441 दिनांक 22/5/2001

प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर।

कुल सचिव,
राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर।